

प्रतिपूरक वनीकरण करने सम्बन्धी बचन बद्धता प्रमाण

प्रमाणित किया जाता है कि टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड, मुरादाबाद द्वारा सी एल गुप्ता से स्टोनमैन क्राफ्ट नेशनल हाईवे 09 के कि0 मी0 चैनेज 136.48 से 141.78 कि0 मी0 तक दायीं पटरी पर गैस पाइपलाइन बिछाई जाने हेतु 0.3182 है० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति हेतु प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और प्रतिपूरक वनीकरण कि लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता के रूप में टोरेंट गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सम्पूर्ण धनराशि उपलब्ध कराई जायगी। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या भारत सरकार या माननीय न्यायालयों द्वारा जारी निर्देशों का भी अनुपालन पूर्ण रूपेण किया जायगा।



(प्रभाषकुमार)
प्रबंधक
टोरेंट गैस मुरादाबाद लिमिटेड
मुरादाबाद